अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2004

का:आ. 607(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 198 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सावली" (एसोसिएशन फॉर मेन्टली रिटार्डेड एंड सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन) अलंकार प्लाट नं0 14, एस0 नं0 133, कोथरूद, पुणे-411029, द्वारा कोथरूद, पुणे, महाराष्ट्र में चलाई गई उपस्करों की खरीद, शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों और वयस्कों हेतु सामाजिक आर्थिक संवर्धन संचालन, संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन की परियोजना कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 858 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सावली" (एसोसिएशन फॉर मेन्टली रिटार्डेड एंड सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन) अलंकार प्लाट नं0 14, एस0 नं0 133, कोथरूद, पुणे-411029, द्वारा कोथरूद, पुणे, महाराष्ट्र में चलाई गई उपस्करों की खरीद, शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों और वयस्कों हेतु सामाजिक आर्थिक संवर्धन संचालन, संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन की परियोजना या स्कीम को जो केवल इकहत्तर लाख, इक्कीस हजार रू0 की अनुमानित लागत पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 150/2004/फा. सं. एन.सी. 395/2003]

सुनील शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)